

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002. the

Sub :- Diversion of 3.5739 hectares of forest land in favour of M/s Sutlej construction Ltd, for the construction of 4.5 MW Kestha Small Hydro Electric Project, within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB295/2013-CHA/ 14** दिनांक **09.05.14** के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **3.5739 hectare** वन भूमि को **M/s Sutlej construction Pvt. Ltd,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पूरी करने पर प्रदान करती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम पौधे कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **574** वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार 2/42 C-IV में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **23,39,500/-** (तैस लाख उनतालिस हजार पांच सौ मात्र) की राशि से कुल **7.50** हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिए सभी सुरक्षा उपाय/पूर्वउपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
- 5 सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
- 6 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कार्यान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है।
- 7 मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुश्ता-दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल नहीं गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 9 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Kullu, H.P.

11

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 9-6-14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
3. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001, w.r.t his letter No. Ft. 48-2606/2012 (FCA) dated 30-04-14 for information & necessary action.
4. The Deputy Commissioner, ~~Chamba~~ Himachal Pradesh.
5. CCF, Kullu /DFO, Kullu, Distt. Kullu, H.P.
6. M/s Sutlej Construction Pvt. Ltd, Admn. Office M-75, Greater Kalash, Part-I, New Delhi-110048.
7. Guard File.

(Prakasha Nand)

Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

0177-2628481,9418455573

8
5/FCF

प्रमुख-वन. हि.प्र.
पावरी नं. 696
दिनांक 11/6/14